



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 803-पारे०अनु०-16/पाट्राकालि-2018

दिनांक: 23 जून, 2018

कार्यालय ज्ञाप

प्रायः यह देखा जा रहा है कि उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० में तैनात कतिपय कार्मिकों द्वारा अपनी समस्याओं एवं शिकायतों के सम्बन्ध में विभागीय लेटर पैड का दुरुपयोग करते हुये, सीधे मा० राज्यपाल, मा० मुख्यमंत्री तथा मा० मंत्रीगण के साथ ही उच्च पदस्थ अधिकारियों को पत्र प्रेषित किये जा रहे हैं और ई-मेल भी किये जा रहे हैं।

विभागीय कार्मिकों का यह कृत्य जहां एक ओर अनुशासनहीनता का द्योतक है, वहीं दूसरी तरफ उ०प्र० सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के प्रस्तर 27(क) में निहित प्राविधानों के प्रतिकूल है और घोर कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में, एतद्वारा आदेशित किया जाता है कि कोई भी कार्मिक अपनी समस्याओं एवं शिकायतों के सम्बन्ध में उच्च स्तर पर किन्हीं भी परिस्थितियों में सीधे पत्राचार नहीं करेगा, अपितु इसे "उचित माध्यम" द्वारा ही प्रेषित करेगा अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अध्यक्ष

सं०-803(1) पारे०अनु०-16/पाट्राकालि/2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता, पारेषण/जानपद, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, पारेषण/जानपद, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
6. वेबसाइट।
7. कटफाइल।

आज्ञा से,

(ए०के० श्रीवास्तव)

उपसचिव (पारेषण)